

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जुलाई 2020—आषाढ़ 29, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2020

क्र. एफ ए-3-11-2020-1-पाँच-(43).—आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-11-2020-1-पाँच (24), दिनांक 04 मई, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद् की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 44 के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 80 के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की समय-सीमा को 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ाते हैं.

2. यह अधिसूचना दिनांक 05 मई, 2020 से प्रवृत्त समझी जायेगी.

राघवेन्द्र कुमार सिंह, राज्य कर आयुक्त.

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2020

क्र. एफ ए-3-11-2020-1-पाँच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-11-2020-1-पाँच (43), दिनांक 20 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 20th July 2020

No. F A-3-11-2020-1-V (43).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 44 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with Rule 80 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), and in supersession of this department's notification No. F A-3-11-2020-1-V-(24), dated the 04th May, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing of the annual return specified under Section 44 of the said Act read with Rule 80 of the said rules, electronically through the common portal, for the financial year 2018-2019 till the 30th September, 2020.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 05th May, 2020.

RAGHWENDRA KUMAR SINGH, Commissioner of State tax.